R.C.T. No.-633/2024
State of M.P. v. Vandna-1

न्यायालय :श्रीमती सलोनी जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना, जिला–सागर (म.प्र.)

:: निर्णय दिनांक 21.01.2026 ::

Registration No-633/2024
Filing No-1800/2024
C.N.R. NO-MP 1505-002301-2024
Filing Date-20-11-2024

पुलिस थाना **बीना,** तहसील **बीना** जिला **सागर** के अपराध क्रं. **563/2024** अपराध अंतर्गत धारा **296 बीएनएस** से उद्भूत प्रकरण।

परिवादी	मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना– **बीना** जिला–सागर (मध्य प्रदेश)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री अमित गोयल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी।
अभियुक्त	**01.** वंदना पति जीवन अहिरवार आयु 34 वर्ष, निवासी ग्राम हिरनछिपा थाना बीना जिला सागर म0प्र0 **02.** करतार सिंह पिता रामप्रसाद अहिरवार आयु 25 वर्ष, निवासी ग्राम कांकर थाना कुरवाई जिला विदिशा म0प्र0
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री विनोद शिल्पी उअधिवक्ता

अपराध की तिथि	14.09.2024
प्र.सू.रि. की तिथि	16.09.2024
आभियोग पत्र की तिथि	20.11.2024
आरोपों की विरचना की तिथि	06.02.2025
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तिथि	19.01.2026
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	21.01.2026
निर्णय की तिथि	21.01.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	**दोषमुक्त, 21.01.2026**

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्त या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश।	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विवरण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1	वंदना अहिरवार	निरंक	निरंक	धारा 296, बीएनएस	**दोषमुक्त**	निरंक	निरंक
2	करतार सिंह	निरंक	निरंक	धारा 296, बीएनएस	**दोषमुक्त**	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन साक्षी :–

श्रेणी	नाम	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.–01	रितु अहिरवार	अभियोगी/आहत

ख. प्रतिरक्षा :–

श्रेणी	नाम	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य साक्षी)
	निरंक	

ग. न्यायालयीन साक्ष्य :–

श्रेणी	नाम	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य साक्षी)
निरंक		

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूचीः–

क. अभियोजनः–

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्र.पी.–01/अ.सा.–01	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	प्र.पी.–02/अ.सा.–01	नक्शा मौका
3	प्र.पी.–03/अ.सा.–03	साक्षी रितु अहिरवार के पुलिस कथन

ख. प्रतिरक्षा :–

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन :–

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक		

घ. आवश्यक वस्तुए :–

स.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक		

01. अभियुक्त **वंदना अहिरवार एवं करतार** का विचारण दिनांक 14.09.2024 को समय करीब 19:30 बजे स्थान फरियादी रितु की ससुराल ग्राम हिरनछिपा तहसील बीना जिला सागर में, जो कि लोक स्थान या उसके समीप है, पर फरियादी/आहत रितु को लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित करने के आरोप पर

किया गया, जो कृत्य धारा 296 बीएनएस के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

02. प्रकरण में विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अभियुक्त **वंदना, करतार** एवं फरियादी/आहत **रितु** के मध्य हुए राजीनामा के परिणामस्वरूप अभियुक्त वंदना एवं करतार को शमनीय अपराध अंतर्गत धारा **115(2) विकल्प में 115(2) सहपठित धारा 3(5), 351(2) बीएनएस** के आरोपों से दोषमुक्त किया गया। यह निर्णय मात्र अशमनीय धारा अंतर्गत धारा **296 बीएनएस** के संबंध में घोषित किया जा रहा है।

03. अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी/आहत रितु ने **प्रदर्श पी–1** की इस आशय की थाना बीना में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करायी थी कि वह जागेश्वरी कालोनी में रहती है, घरू काम करती है, उसके पति रेल्वे में काम करते है, उसके पति की मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह घर पर ही रहते है, उसके सास ससुर खत्म हो गये है। घ ार में जेठानी और भाई करतार रहता है, जो उसे परेशान करते है, वह सास ससुर के मकान पर अकेले कब्जा करना चाहते है, इसी बुराई को लेकर दोनो आये दिन उसके साथ गाली गुप्तार करते रहते है। दिनांक 14.09.2024 के शाम करीब 07:30 बजे की बात है, वह उसकी ससुराल ग्राम हिरनछिपा में घर पर थी उसी समय जेठानी का भाई करतार आया और उसे मॉ बहिन की गंदी गंदी गालियां देकर कहने लगा कि घर से बाहर निकलो तुम्हारा इस घर पर कोई अधिकार नहीं है, उसने गाली देने से मना किया तो उसने वहीं पडा लकडी का डंडा उठाकर मारा जो उसे बायें पैर में लगा जिससे उसे मुदी चोट आयी तभी उसकी जेठानी आ गयी और आकर उसे कमीनी कुतिया कहकर गंदी गंदी गालियां देकर उसके बाल पकडकर खीचं दिये और हाथो से पीठ में मारपीट की जिससे उसे मुदी चोटें लगी, जब वह चिल्लाने लगी तो उसकी आवाज सुनकर मोहल्ले के रिंकू नामदेव और जितेन्द्र ठाकुर आ गये जिन्होने घ टना देखी सुनी व बीच बचाव किया, तब जेठानी और उसका भाई उससे कह रहे थे कि आज तो बच गयी घर से बाहर नही निकली तो जान से खत्म कर

देगें, घटना दिनांक को घर पर कोई न होने के कारण भाई अजय एंव मॉ जानकीबाई के साथ थाना रिपोर्ट करने आयी।

04. फरियादी की उक्त सूचना के आधार पर थाना बीना जिला–सागर मध्यप्रदेश में अपराध कमांक 563/24 धारा 296, 115(2), 3(5), 351(2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल का नक्शामौका **प्रदर्श पी–2** बनाया गया। घ टना में प्रयुक्त लकडी का डंडा जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। अभियुक्तगण को धारा 35(3) बीएनएसएस का नोटिस दिया गया एवं सम्पूर्ण आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05. अभियुक्तगण ने अपने अभिवाक् में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है। अभियुक्तगण का अभिवाक् अंकित किया गया। अभियोजन साक्ष्य मे अभियुक्तगण के विरूद्ध ऐसे कोई तथ्य प्रकृट नही हुये, जिससे अभियुक्त का परीक्षण कराया जाना आवश्यक नहीं है।

06. प्रकरण के समुचित न्यायिक निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैः–

01. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 14.09.2024 को समय करीब 19:30 बजे स्थान फरियादी रितु की ससुराल ग्राम हिरनछिपा तहसील बीना जिला सागर में, जो कि लोक स्थान या उसके समीप है, पर फरियादी/आहत रितु को लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया ?
02. दोषसिद्धि एवं दंडादेष ?

–: **<u>निष्कर्ष के आधार</u>** :–

<u>**विचारणीय प्रश्न क्रं. 01 के संबंध में–**</u>

07. **सर्वप्रथम यह देखना है कि अभियुक्त वंदना एवं करतार द्वारा फरियादी को दी गयी गालीं से फरियादी एवं अन्य सुनने वाले को क्षोभ कारित हुआ है।** इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी द्वारा उसके न्यायलयीन कथन में कोई उल्लेख नही किया गया है। प्रकरण में अन्य किसी अभियोजन साक्षी की साक्ष्य अंकित नहीं की गयी है अतः इस संबंध में फरियादी की साक्ष्य अखडंनीय है। उल्लेखनीय है कि <u>**न्यायदृष्टांत प्रीति मौन बनाम राज्य 2008 सीआरएलजे 1235(केरल)**</u> यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 294 भादंसं के अधीन अपराध सुघटित करने के लिये अभियुक्त द्वारा उच्चारित वास्तविक शब्दो का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में अन्य किसी अभियोजन साक्षी की साक्ष्य अंकित नहीं की गयी है। अतः इस संबंध में फरियादी रितु की साक्ष्य अखंडनीय है।

08. एडीपीओ द्वारा सूचक प्रश्न पूछने के दौरान भी साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने उसे मॉ बहिन की गंदी गंदी गालियां देकर अश्लील शब्द उच्चारित किये थे। अतः अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में **असफल** रहा है कि अभियुक्त वंदना एवं करतार ने दिनांक 14.09.2024 को समय करीब 19:30 बजे स्थान फरियादी रितु की ससुराल ग्राम हिरनछिपा तहसील बीना जिला सागर में, जो कि लोक स्थान या उसके समीप है, पर फरियादी/आहत रितु को लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया।

09. अतः **अभियुक्त वंदना पति जीवन अहिरवार आयु 34 वर्ष** वर्ष निवासी ग्राम हिरनछिपा थाना बीना तहसील बीना जिला सागर **एवं अभियुक्त करतार सिंह पिता रामप्रसाद अहिरवार आयु 25 वर्ष** निवासी ग्राम कांकर थाना कुरवाई जिला विदिशा म0प्र0 को **296 बीएनएस** के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

10. अभियुक्तगण के प्रतिभूति पत्र एवं व्यक्तिगत बंधपत्र भारमुक्त घोषित किये जाते है।

11. अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण, जांच एवं विचारण के दौरान निरोध में नही रहे है। इस संबंध में धारा– 428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र तैयार कर अभिलेख के साथ संलग्न किया जावें।

12. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक सतकटा का डंडा मूल्यहीन पर होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जाये, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

दिनांक–21.01.2026
स्थान–बीना, सागर (म0प्र0)

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

सही/–
(सलोनी जैन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बीना, जिला–सागर (म.प्र.)

सही/–
(सलोनी जैन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बीना, जिला–सागर (म.प्र.)